न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 124/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/236

निर्णय दिनांकः 26.12.2024

चन्द्राराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. झुथादेवी पत्नी चैनाराम 2. नानू 3. भागीरथ 4. मगनाराम 5. मामराज 6. लाधूराम 7. श्रवणराम 8. हड़मानराम 9. हरिराम पुत्री/पुत्रगण चैनाराम जाति जाट निवासीगण जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री मांगीलाल नैण अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 6 ता 8
3. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4, 5, 9
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान्‌जी प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 3.58 हैक्टेयर बारानी रोही जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसका रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 345 तादादी 13.770 हैक्टेयर में से एक कटाणी रास्ता गांव जाखासर से लिखमीसर को जाता है. इस कटाणी रास्ता से फंटकर एक रास्ता प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 301 में जाता है, जो प्रार्थी के खेत में जाने का एकमात्र रास्ता है. इसके अलावा कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 345 में से प्रार्थी के खेत में आवश्यकता रास्ता विधमान रहा है, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर लम्बाई 70 मीटर है। उक्त रास्ते को दर्शित हुये नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है। संलग्न नक्शा में मार्क A से B लाल स्याही से अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के खेत खसरा नम्बर 345 में से जाने वाला जाखासर से लिखमीसर गांव का कटाणी मार्ग दर्शाया गया है, इस कटाणी रास्ता में से मार्क C से एक रास्ता फंटकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 301 में मार्क D तक जाता है । इस रास्ता को मार्क C से D दर्शाया गया है। मार्क C से D रास्ता की लम्बाई 70 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है। यह रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने का एकमात्र रास्ता है । उक्त रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का रास्ता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत [illegible] रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है । यह [illegible] अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तक पहुंच का एकमात्र रास्ता है, जो सुविधा का रास्ता ना होकर आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी शुरू से ही इस रास्ते से होकर अपने खेत में आता जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 301 में जाने का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर रोही जाखासर में से 70 गुणा 5 मीटर यानि 350 वर्गमीटर है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डी.एल. सी. रेट से दुगनी कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी इसी रास्ते से आता जाता है तथा और कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में आवागमन का नही है। अब अप्रार्थीगण, प्रार्थी के वर्णित रास्ता से आवागमन करने में अवरोध पैछा करने पर उतारू होकर प्रार्थी को इस रास्ता से आवागमन करने से मनाही करने लगे है। प्रार्थी ने सहमति से वर्णित रास्ता का अंकन राजस्व रेकार्ड में करवाने व डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि लेने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण दिनांक 29.06.2023 को इन्कार हो गये, इसलिये प्रार्थी द्वारा यह रास्ता मांगना आवश्यक व मजबुरी है। प्रार्थी द्वारा कम से कम चौड़ाई के रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि व चाहे गये रास्ता की भूमि गांव जाखासर की रोही में स्थित है, इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 3.5800 हैक्टेयर रोही जाखासर श्रीडूंगरगढ़ का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ से गुजरने वाले कटाणी रास्ता जाखासर से लिखमीसर गांव के रास्ता में से संलग्न नक्शानुसार 70X5 = 350 वर्गमीटर या पटवारी रिपोर्ट के बाद वास्तविक माप आये उसके अनुसार रास्ता को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में प्रार्थी से डी. एल. सी. राशि की दुगनी राशि लेकर दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 10 को दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अपने प्रार्थना पत्र के सर्मथन में अप्रार्थीगण संख्या 1,6 व 7 के शपथ पत्र पेश किये गये।

अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8 व 9 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से प्रार्थी के खेत में आवागमन का कोई रास्ता नहीं जाता है व ना ही प्रार्थी के खेत का कोई रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से होकर मौके पर विधमान है। अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 345 में से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई रास्ता मौका पर विधमान नहीं है। प्रार्थी अपनी

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

सुविधानुसार अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता बनाना चाहता है। जिसका प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकारी हासिल नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है, वो ना तो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा है व ना ही किसी नजरी नक्शा नवीस द्वारा तैयार किया गया नक्शा है। प्रार्थी ने अपनी इच्छानुसार व सुविधानुसार स्वयं द्वारा काल्पनिक रूप से नक्शा बनाकर गलत नक्शा प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण कें खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी नें प्रार्थना पत्र में वर्णित मार्क C से D गलत रास्ता वर्णित किया है। प्रार्थी ने केवलमात्र अपनी सुविधानुसार रास्ता वर्णित किया है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 310 में से फंटकर खसरा नम्बर 308, 302 में से होकर खसरा नम्बर 301 में जाता है जो रास्ता आज भी मौके पर चालू है व इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन सदैव से करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के खेत में से ना तो कभी पूर्व में प्रार्थी के खेत का रास्ता रहा व ना ही वर्तमान में मौजूद है। अप्रार्थीगण के खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने के लिये कोई रास्ता ना तो कभी रहा व ना अब मौजूद है। प्रार्थी केवलमात्र अपनी सुविधानुसार व इच्छानुसार अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता कायम करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा में वर्णित रास्ता आवश्यकता का नहीं होकर अपनी सुविधा का रास्ता वर्णित है। प्रार्थी द्वारा वर्णित रास्ता से ना तो कभी पूर्व में अपने खेत में गया व ना ही वर्तमान में उक्त रास्ता है। जब उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता ही नहीं तो उक्त रास्ता मौजूद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 301 में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 345 तादादी 13.7700 हैक्टेयर में से नही जाता है व ना ही प्रार्थी अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में से आवागमन करता है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ता जाखासर से बापेऊ – लिखमीसर जाने वाले रास्ते से होकर दुलाराम के खेत खसरा नम्बर 310 में से होकर खेत खसरा नम्बर 308 के खातेदार कालूराम के खेत में से होकर आगे खसरा नम्बर 302 में से होकर प्रार्थी के खेत तक जाता है, जो रास्ता आज भी मौके पर चालू है व इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में हमेशा से ही आवागमन करता है, जो रास्ता सदामद से चालू रास्ता है । अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 345 में से ना तो प्रार्थी का 350 वर्गमीटर रास्ता है व ना ही कभी रहा । जब प्रार्थी के खेत में आवागमन का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत मे से कभी भी रहा ही नहीं तो प्रार्थी द्वारा वर्णित नाप व क्षेत्रफल का रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी नें अपनी सुविधानुसार अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ता बताया है जो स्वीकार नहीं व इन्कार किया जाता है । अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से डी.एल.सी. दर के मुताबिक अपने खेत में से नाजायज रूप से व प्रार्थी की सुविधानुसार रास्ता देने को कतई रजामन्दी नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेत में से कभी भी आवागमन नहीं किया है। जब प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु सदैव से रास्ता खसरा नम्बर 310 में से होकर खसरा नम्बर 308 में से होकर खसरा नम्बर 302 में होकर प्रार्थी अपने खेत में हमेशा से आवागमन करता है व यही रास्ता मौके पर विधमान है। प्रार्थी आज भी अपने खेत में इसी रास्ता से आवागमन करता है। जब प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सदामद का रास्ता मौजूद है तो अप्रार्थीगण के खेत में से

3

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अपनी सुविधानुसार रास्ता कायम करने का किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है । जब प्रार्थी के खेत मे आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग हमेशा से चालू है तो प्रार्थी अपनी सुविधनुसार किसी भी प्रकार से अन्य रास्ता की मांग करने का अधिकारी नहीं है। ना तो प्रार्थी ने दिनांक 29.06.2023 को अप्रार्थीगण से सहमति स्वरूप रास्ता देने की मांग की व ना ही अप्रार्थीगण ने इन्कार किया। जब दिनांक 29.06.2023 को प्रार्थी अप्रार्थीगण से मिला ही नहीं तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को इन्कार करने का तथ्य केवलमात्र प्रार्थना पत्र की रचना हेतु मिथ्या वर्णित किये है, जो स्वीकार नही व इन्कार किय जाते है। जब अप्रार्थीगण के खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु कोई रास्ता ही नहीं है तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के रास्ता अवरूद्ध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तमाम तथ्य मिथ्या वर्णित किये है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु सदैव से रास्ता खसरा नम्बर 310 में से होकर खसरा नम्बर 308 में से होकर खसरा नम्बर 302 में होकर जाता है तो प्रार्थी अन्य रास्ता की मांग करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 310 में से फंटकर खसरा नम्बर 308, 302 में से होकर खसरा नम्बर 301 में जाता है जो रास्ता आज भी मौके पर चालू है व इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन सदैव से करता चला आ रहा है। प्रार्थी आज भी अपने खेत में इसी रास्ता से आवागमन करता है। प्रार्थी केवलमात्र अपनी सुविधानुसार व इच्छानुसार अप्रार्थीगण के खेत में से नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा में वर्णित रास्ता आवश्यकता का नहीं होकर अपनी सुविधा का रास्ता वर्णित है। जब प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सदामद का रास्ता मौजूद है तो प्रार्थी अप्रार्थीगण के खेत में से अपनी सुविधानुसार रास्ता कायम करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण के खेत में से प्रार्थी के खेत में जाने का कोई रास्ता ना तो पूर्व में मौजूद था व ना ही वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं व इन्कार किये जाते है। प्रार्थी किसी प्रकार से सुविधानुसार रास्ता पाने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। स्टेट की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में मौका स्थिति दिनांक 12.10.2023 के अनुसार ही है। जखासर से लिखमीसर दिखणादा के कटाणी रास्ते के ख.नं. 310 से 745/309, 308 व 302 से होते हुए संलग्न नजरी नक्शे के बिन्दु सी–डी के अनुसार प्रार्थी के खेत ख.नं. 301 तक पहुंच का प्रचलित रास्ता है। परन्तु प्रार्थी ने बताया कि वो इस प्रचलित रास्ते से आवागमन नहीं करता है। प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से जाखासर से लिखमीसर दिखणादा कटाणी रास्ता (नजरी नक्शे बिन्दु ए–बी) गुजरता है। प्रार्थी को जाखासर से लिखमीसर दिखणादा कटाणी रास्ता के ख.नं. 345 में से होते हुए संलग्न नजरी नक्शे बिन्दु ई–एफ के अनुसार सुविधा। प्रार्थी के खेत ख.नं. 301 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता जाखासर–लिखमी दिखणादा कटाणी रास्ते के ख.नं. 310 से होते हुए नजरी नक्शे के बिन्दु सी–डी के अनुसार से ख.नं. 745/309, 308 व 302 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

है। तथा यह रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के ख.नं. 345 से ख.नं. 301 तक की दूरी लगभग 1.80 किमी. है जो नजरी नक्शे में ई–सी–डी द्वारा दर्शाया गया है । प्रचलित मार्ग की दूरी अधिक होने के कारण, आवागमन सुविधाजनक न होने से एवं चाहे गये प्रस्तावित मार्ग की दूरी कम होने के कारण नये रास्ते की आवश्यकता पड़ी है। कटाणी मार्ग की आवश्यकता है। प्रार्थी को अपने खेत ख.नं. 301 में आने जाने के लिये सबसे सुविधाजनक रास्ता चाहा गया प्रस्तावित रास्ता ही है। जो ख.नं. 345 में स्थित कटाणी से दूरी लगभग 210 मीटर है। प्रस्तावित चाहा गया रासता ख.नं. 345 में से गुजरेगा जिसके खातेदार संलग्न जमाबंदी अनुसार 9 हैं। नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 जो कि प्रार्थी की उपस्थिति में तैयार की गई है। परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर अपनी किसी प्रकार की आपति पेश नहीं की गई है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 301 में आने जाने हेतु प्रचलित रास्ता उपलब्ध है एवं प्रचलित मार्ग की दूरी अधिक होने के कारण, आवागमन सुविधाजनक न होने से एवं चाहे गये प्रस्तावित मार्ग की दूरी कम होने के कारण प्रार्थी द्वारा नये रास्ते की मांग की गई है जबकि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु वैकल्पि रास्ता मौजूद है एवं प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधानुसार रास्ता चाहा गया है। धारा 251 (क) के तहत रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता व वैकल्पि रास्ता नहीं होना आवश्यक है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 301 के आवागमन का रास्ता प्रचलित मार्ग के रूप में मौका रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 अनुसार विद्यमान है। उपरोक्त तमाम तथ्यों, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:18 IST
Reason: SelfAttested